राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, **आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या – 56/2022 **जीसीएमएस नम्बर – 2022/126**

जयसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..........वादी

– ब ना म –

1. करणसिंह पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. बलजीत सिंह दत्तक पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. महीपाल सिंह पुत्र हनुमानसिंह
4. रतनी पत्नि हनुमानसिंह
5. शान्ति पत्नि सुरजनसिंह
6. सत्यवीर सिंह पुत्र हनुमानसिंह
7. हजारी सिंह पुत्र सबलसिंह
8. महेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह नवीरा सबलसिंह
9. विजयसिंह पुत्र सवाईसिंह
10. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह
11. ईमरती देवी पत्नि सवाईसिंह

(क्रम 3 से 11) जातिगण राजपूत निवासीगण गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

12. मन्जू देवी पुत्री सवाईसिंह पत्नि उमराव सिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा हाल आबाद काकोडा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू(राज.)
13. धापा पुत्री सवाईसिंह पत्नि पप्पूसिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा हाल आबाद काकोडा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू(राज.)
14. तहसीलदार भू–अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.......प्रतिवादीगण

<u>दावा – खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.</u>

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार सेवामे पेश हैं।

1. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 196 रकबा 1.02 है. ख.न. 197 रकबा 1.20 है. किता 2 [illegible] 2.22 है. में वादी 1/5 हिस्सा का खातेदार है तथा प्रतिवादी [illegible] 1/222 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 56/555 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का 1/15 हिस्सा, प्रति[illegible] सं. 4 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 5/222 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी सं. [illegible] 409/2220 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 लगायत 13 के पूर्वाधिकारी सवाईसिंह 409/2220 हिस्सा है उक्त सवाईसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी सं. 14 राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सरकार का 7/222 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 14 के नाम दर्ज हिस्सा मौके पर रास्ता के काम आता है। यह भूमि रास्ता के लिये ही समर्पण की गई है।

2. यह कि वादी का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 14 के नाम दर्ज 7/222 हिस्सा मौके पर रास्ता है वादी का खाता संयुक्त रहने से वादी को अपने हिस्से की भूमि की सीमाऐ कायम रखने इसका अन्यत्र रूपान्तरकरण करवाने व उपयोग करने में भारी हक तलफी है तथा रास्ता प्रतिवादी सं. 14 के नाम है वह राजस्व रिकार्ड में द्रर्ज नही होने व मौके पर अलग से नक्शा में कायम नही होने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है इसलिए के लिये अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाने व मौके पर रास्ता को नक्शा में रास्ता कायम करवाना आवश्यक हुआ है।

3. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 द्वारा सहमति से विभाजन करवाने से इन्कार करने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम गाडाखेड़ा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में है इसलिये यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

5. यह कि प्रतिवादी सं. 15 लैण्ड होल्डर है जो आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

6. यह कि दावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये दावा कुल एक रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

7. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

8. यह कि विवादित भूमि का अपडेटड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 196 रकबा 1.02 है. ख.न. 197 रकबा 1.20 है. किता 2 कुल रकबा 2.22 है. के वादी 1/5 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित कर लगान अलग से कायम कर प्रतिवादी सं. 14 के नाम दर्ज 7/222 हिस्सा को नक्शा में मौके अनुसार रास्ता दर्ज कर प्रतिवादी सं. 15 को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई सभी प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 06–07–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 30–06–2022 (इस न्यायालय [illegible]7–2022) को प्राप्त हुई । वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर [illegible] किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं। मुता[illegible] विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा उप—तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 196 रकबा 1.02 है. ख.न. 197 रकबा 1.20 है. किता 2 कुल रकबा 2.22 है भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व फर्द मौका रिपोर्ट प्रदर्श "ब—1 लगायत ब—2" के अनुसार अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व फर्द मौका रिपोर्ट प्रदर्श "ब—1 लगायत 2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बोलकर आज न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 63/2016

जयसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..........वादी

– ब ना म –

1. करणसिंह पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. बलजीत सिंह दत्तक पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. महीपाल सिंह पुत्र हनुमानसिंह
4. रतनी पत्नि हनुमानसिंह
5. शान्ति पत्नि सुरजनसिंह
6. सत्यवीर सिंह पुत्र हनुमानसिंह
7. हजारी सिंह पुत्र सबलसिंह
8. महेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह नवीरा सबलसिंह
9. विजयसिंह पुत्र सवाईसिंह
10. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह
11. ईमरती देवी पत्नि सवाईसिंह

(3 से 11) जातिगण राजपूत निवासीगण गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

12. मन्जू देवी पुत्री सवाईसिंह पत्नि उमराव सिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा हाल आबाद काकोडा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू(राज.)
13. धापा पुत्री सवाईसिंह पत्नि पप्पूसिंह जाति राजपूत निवासी गाडाखेड़ा हाल आबाद काकोडा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू(राज.)
14. तहसीलदार भू–अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.......प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में आज तारीख 04–07–2022 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –

“ **न्यायालय वाद वादीगण खाता** [illegible] **किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा** [illegible] **सिंघाना** [illegible] **बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 196 रकबा 1.02 है. ख.न. 197** [illegible] **2.22 है भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना** [illegible] **प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

"अ–1 लगायत अ–2" व फर्द मौका रिपोर्ट प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के अनुसार अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व फर्द मौका रिपोर्ट प्रदर्श "ब–1 लगायत 2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 04–07–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested